(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Panshet and Khadak Wasalla Dams

3131. { **Shri G. K. Jedhe:** / **Shri Pangarkar:**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal before Government to re-construct the Panshet and Khadak Wasalla dams afresh or to repair;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the canal constructions would be proceeded further in Poona District in Panshet dam irrigation area; and

(d) if not, the causes therefor?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Hathi): (a) No such proposal has yet been received from the Government of Maharashtra.

(b) to (d). Do not arise.

टेलीफोन कनैक्शन

३१३२. { **श्री प० ला० बाकपाल :** / **श्री तुला राम** / **श्री मोतीलाल मालवीय :** / **श्री लच्छी राम :**

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर नगर में कितने व्यक्तियों के टेलीफोन कनैक्शन हाल ही में समय पर पैसा न जमा कराने पर काट दिये गये हैं ;

(ख) इनमें कितने संसद्-सदस्य, विधान सभा के सदस्य और कितनी सार्वजनिक संस्थायें हैं ;

(ग) क्या ऐसे लोगों के कनैक्शन भी काट दिये गये थे जो किसी कारणवश बाहर गये हुए थे और जो उस दिन डाकघर बन्द होने के कारण एक दिन की अवधि चाहते थे ; और

(घ) क्या ऐसे लोगों के कनैक्शन काटे जा सकते थे जिन्होंने पहले जमा किये गये समाप्त न होने से पूर्व और पैसे जमा करा दिये थे ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) समय पर पैसा जमा न करने के कारण २२ जुलाई, १९६१ को पांच उपभोक्ताओं के टेलीफोन काट दिये गये थे ।

(ख) इन काटे गए टेलीफोन कनेक्शन में से संसद्-सदस्यों या विधान-सभा सदस्यों के कोई टेलीफोन नहीं थे । जिन सार्वजनिक संस्थाओं के टेलीफोन काटे गये उनकी संख्या दो थी ।

(ग) इन उपभोक्ताओं के बिल १५।२१ अप्रैल, १९६१ को जारी किये गये थे और उसके पन्द्रह दिन के भीतर उनकी अदायगी हो जानी चाहिये थी । फिर भी अदायगी समय पर नहीं की गई । आगे कुछ समय देने के पश्चात प्रत्येक उपभोक्ता को ५ जून, १९६१ को रजिस्ट्री डाक से स्मृति-पत्र भेजे गये, जिनमें यह सूचना दी गई थी कि यदि उसके बाद के एक सप्ताह के भीतर बिलों की अदायगी नहीं की गई तो टेलीफोन काट दिये जायेंगे । उपर्युक्त एक सप्ताह के बाद भी कुछ समय दिया गया, २२ जुलाई, १९६१ की सुबह उपभोक्ताओं से टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित किया गया, और चूंकि फिर भी अदायगी नहीं की गई अतः २२ जुलाई, १९६१ की शाम को टेलीफोन काट दिये गये । २२ जुलाई, १९६१ को न तो रविवार था और न डाकघर की ही छुट्टी थी ।

(घ) पांच उपभोक्ताओं में से तीन से रकम जमा कराई गई थी क्योंकि यह देखा गया कि वे बिलों की अदायगी करने में देरी करने के आदि से हो गये थे । फिर भी जब कि टेलीफोन काम कर रहा हो बिलों की शेष रकम को जमा रकम से काटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि बिल आगे होने की